

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या : 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 चार लेन/2015-16/17878 दिनांक : 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 के नियम 30 (2) के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र मे दर का निर्धारण।

फार्म 11

ग्राम-रामपुर, परगना - चाँदा, तहसील - लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर

क्र० सं०	खातासं०	कास्तकार /भू-स्वमी का नाम व पता	सर्वेक्षण/गाटा सं०	अर्जित रकबा (हे० में)	अर्जित भूमि का मूल्य 18800000.00 प्रति हे० की दर से (दर X रकबा)	भू०आ०अधि० की धारा 30(2) की प्रथम अनुसूचि के तहत ग्रामीण क्षेत्र का दो गुना अर्थात कालम 5X2	परसम्पत्तियों का विवरण		कालम 5+ 7+ 8 का योग	नये भू-अर्जन अधि० की धारा 30(2) के तहत 12% अति० क्षतिपूर्ण की धनराशि कालम 9 पर दिनांक 23.10.2012 से 25.04.2015 तक कुल 912 दिन पर 29.	नये भू०अ०अ० की धारा 30(1) के तहत 100 प्रति० सोले० की धनराशि कालम (6+ 7+8 पर)	कुल देय प्रतिकर की धनराशि कालम (6+7+8+10+ 11) का योग	प्रतिकर की पूर्णकित धनराशि	हिस्सेवार प्रतिकर	वितरण का दिनांक	अधिकारी के हस्ताक्षर
							संरचना का मूल्य	वृक्ष का मूल्य								
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	537	लहूरी पुत्र लूदुर नि०आनापुर नरायनगंज।	953	0.0056	105280	210560			105280	31567	210560	452687				
योग				0.0056	105280	210560	0	0	105280	31567	210560	452687				

सक्षम प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

5		लहूरी पुत्र अलगू नि0आनापुर नरायनगंज।													
6		भागीरथी पुत्र जेटू													
7		लालमणि पुत्र जेटू													
8		गंगादेवी पत्नी जेटू नि0ग्रा0।													
9	273	बहादुर पुत्र लुदूर नि0आनापुर नरायनगंज।	954	0.0130	101400	202800		101400	30403	202800	436003				
10	497	रामलौट पुत्र गजाधर	949	0.0580	452400	904800		452400	135646	904800	1945246				
11		रामदौर पुत्र गजाधर													
12	702	श्रीमती निर्मलादेवी पत्नी अभयराज नि0पतीपुर।	959	0.0395	308100	616200		308100	92379	616200	1324779				
योग			0.1444	1126320	2252640	0	0	1126320	337711	2252640	4842991				

सक्षम् प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या : 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 चार लेन/2015-16/17878 दिनांक : 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापक में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 के नियम 30 (2) के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में दर का निर्धारण।

फार्म 11

ग्राम-रामपुर, परगना - चाँदा, तहसील - लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर

क्र0 सं0	खातासं0	कास्तकार /भू-स्वामी का नाम व पता	सर्वेक्षण/गाटा सं0	अर्जित रकबा (हे0 में)	अर्जित भूमि का मूल्य	भू0आ0अधि0 की धारा 30(2)	परसम्पत्तियों का विवरण	कालम 5+ 7+ 8 का	नये भू-अर्जन अधि0 की धारा 30(1)	नये भू0अ0अ0 की धारा 30(1)	कुल देय प्रतिकर की				
----------	---------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------	--------------------	--	--	--	--

26	दयाशंकर पुत्र रामलखन														
27	रमाशंकर पुत्र रामलखन														
28	कृपाशंकर पुत्र रामलखन														
29	रवीशंकर पुत्र रामलखन														
30	हरीशंकर पुत्र रामलखन														
31	कलावती देवी पत्नी रामलखननि0ग्रा0														
योग		0.8409	3531780	7063560	47349	45540	3624669	1086805	7156449	15399703					

सक्षम् प्राधिकारी/अपर
उप जिलाधिकारी सदर सुलतानपुर